

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प

संख्या-3198 दिनांक 18.04.2016 के अन्तर्गत "झारखण्ड की स्थानीय निवासी"

प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र

(यह आवेदक स्वहस्तलिपि में प्रस्तुत करेंगे)

1. आवेदक का नाम :-

2. आधार संख्या :-

--	--	--

3. आवेदक के पिता/पति/ का नाम :-

4. माता का नाम :-

5. आवेदक का स्थायी पता :-

(स्थायी पता के प्रमाण में बिजली का बिल/टेलीफोन का बिल/
एल. आई. सी./मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड इनमें से कोई
एक ही स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)

ग्राम पं० _____ ग्राम _____

पो० _____ थाना _____

जिला _____ राज्य _____

पिन कोड

--	--	--	--	--	--

6. झारखण्ड राज्य के स्थानीय नागरिक होने का आधार

(संकल्प की कंडिका -2 की जिस उप कंडिका के आधार पर

आवेदक दावा प्रस्तुत कर रहा है, उस कंडिका का उल्लेख करें।

2(i) ☐

2(ii) ☐

2(iii) ☐

2(iv) ☐

2(v) ☐

2(vi) ☐

- 2(i) झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करता हो एवं स्वयं अथवा पूर्वज के नाम गत सर्वे खतियान में दर्ज हो। भूमिहीन के मापने में उसकी पहचान संबंधित ग्राम सभा द्वारा की जाएगी जो झारखण्ड में प्रचलित भाषा, संस्कृति एवं परम्परा पर आधारित होगी।
- 2(ii) किसी व्यापार, नियोजन एवं अन्य कारणों से झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में विगत 30 वर्ष या अधिक अवधि से निवास करता हो एवं अचल संपत्ति अर्जित की हो या ऐसे व्यक्ति की पत्नी/पति/संतान हो एवं झारखण्ड में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।
- 2(iii) झारखण्ड राज्य सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित/मान्यता प्राप्त संस्थानों, निगम आदि में नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी या उनकी पत्नी/पति/संतान हो एवं झारखण्ड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।
- 2(iv) भारत सरकार का पदाधिकारी/कर्मचारी जो झारखण्ड राज्य में कार्यरत हो या उनकी पत्नी/पति/संतान हो एवं झारखण्ड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।
- 2(v) झारखण्ड राज्य में किसी संवैधानिक या विधिक (Statutory) पदों पर नियुक्त व्यक्ति या उनकी पत्नी/पति/संतान हो एवं झारखण्ड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।
- 2(vi) ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म झारखण्ड राज्य में हुआ हो तथा जिसने अपनी मैट्रिकुलेशन अथवा समक्ष स्तर तक की पूरी शिक्षा झारखण्ड स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो एवं झारखण्ड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।

7. उपर्युक्त कंडिका -4 के दावे समर्थन में

प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेख का विवरण

:-

8. आवेदन का दूरभाष /मोबाइल संख्या

:-

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम _____

तिथि _____

घोषणा पत्र

मैं पिता/पति
उम्र धर्म पेशा राष्ट्रीयता-भारतीय,
साकिन/ ग्राम वार्ड नं० पो०
थाना जिला का निवासी हूँ तथा शपथ पूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि :-

1. यह है कि मैं साकिन/ग्राम वार्ड न० पो०
थाना प्रखण्ड जिला का निवासी हूँ एवं खतियान/केवाला दस्तावेज में
खाता सं० प्लॉट सं० रकवा मौजा
में के नाम से दर्ज है जो मेरे लगते हैं ।
2. यह है कि मैं जाति का हूँ ।
3. यह है कि आवेदक/आवेदिका की वैवाहिक स्थिति :- विवाहित ☐ अविवाहित ☐
4. यह है कि सभी श्रोतो से वार्षिक आय शब्दों में रूपया है ।
5. यह कि मेरे परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में । हैं ☐ नहीं ☐
(यदि है/नहीं तो स्वहस्तलिपि में लिखें)
6. यह कि आवेदक/आवेदिका पिता/पति
मेरा स्वयं/पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी है जिसका प्रमाण पत्र में अपना हस्ताक्षर बनाया है ।
7. आवेदक/आवेदिका का वंशावली :-

प्रज्ञा केन्द्र संचालक
का ह० एवं मुहर

जनप्रतिनिधि का हस्ताक्षर एवं मुहर

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यापन

PHOTO

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी सत्य एवं सही
है । गलत पाये जाने पर मैं स्वयं दण्ड का भागी रहूँगा/रहूँगी ।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

पूर्व पृष्ठ पर अपने दावे के समर्थन में आवेदक की घोषणा

जो सही हो उसे चेक बॉक्स(✓) अंकित करें :-

1. क्या आपके माता/पिता को झारखण्ड के स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र प्राप्त है ?
2. क्या आपके माता/पिता/पूर्वजों का नाम खतियान में दर्ज है ?
3. क्या आपके माता/पिता भूमिहीन है ?
4. क्या आप झारखण्ड में प्रचलित भाषा, संस्कृति, परम्परा से अवगत है ?
5. क्या स्वयं अथवा आपके माता/पिता राज्य सरकार के कर्मी है ?
6. क्या स्वयं अथवा आपके माता/पिता भारत सरकार के कर्मी हैं तथा वे झारखण्ड राज्य में पदस्थापित हैं ?
7. क्या आप स्वयं अथवा आपके माता/पिता झारखण्ड राज्य में किसी सवैधानिक/विधिक (Statutory) पद पर आसीन है ?
8. क्या आपका जन्म झारखण्ड राज्य क्षेत्र में हुआ है ?
9. क्या आपने अपनी मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर की पूरी शिक्षा झारखण्ड स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की है ?
10. क्या आप स्वयं अथवा आपके माता/पिता विगत 30 वर्षों से झारखण्ड राज्य में निवास करते हैं और अचल सम्पत्ति अर्जित की है ?

हाँ	☐	नहीं	☐
हाँ	☐	नहीं	☐
हाँ	☐	नहीं	☐
हाँ	☐	नहीं	☐
हाँ	☐	नहीं	☐
हाँ	☐	नहीं	☐
हाँ	☐	नहीं	☐
हाँ	☐	नहीं	☐
हाँ	☐	नहीं	☐
हाँ	☐	नहीं	☐

मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी में सत्य है। सूचनाओं के असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान :

दिनांक :

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर
आधार सं०(वैकल्पिक)

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु प्रतिज्ञान का प्रपत्र

मैं श्री/श्रीमति/सुश्री
पिता/पति श्री ग्राम.....
पो०.....थाना.....जिला.....का निवासी हूँ और मैं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत संकल्प-3198, दिनांक 18.04.2016 की कंडिका -2 की उप कंडिकामें उल्लिखित शर्तों के आधार पर झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी की शर्त पूरी करता हूँ। (समर्थन में दस्तावेज की स्व सत्यापित हस्ताक्षरयुक्त की छाया प्रति संलग्न)

2. मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र का स्थानीय निवासी नहीं हूँ और झारखण्ड राज्य में रहने के लिए प्रतिबद्ध होने का प्रतिज्ञान करता हूँ।

3. मैं यह भी प्रतिज्ञान घोषित करता/करती हूँ कि राज्य सरकार (सक्षम प्राधिकार) प्रतिज्ञान में अंकित तथ्य की जाँच में असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने वाले के लिए सक्षम होगी।

प्रज्ञा केन्द्र संचालक
का ह० एवं मुहर

प्रतिज्ञान घोषित करने वाले का हस्ताक्षर एवं नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)
आधार संख्या (स्वैच्छिक)